पूर्व मध्य रेलवे
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक(का)/दानापुर
दिनांक: 21.09.2023

पत्र सं0: नि0अनु0/ई0टी0/नीति/2023

सर्व संबंधित
पू0म0रे0/दानापुर।

विषय: अन्य रेल/मंडल/यूनिट तथा पूर्व मध्य रेलवे के अन्य मंडलों से दानापुर मंडल में स्थानान्तरण/NOC के संबंध में दिशा-निर्देश।

भारतीय रेलों के सभी मंडलों से Own-request आधार पर दानापुर मंडल में स्थानांतरण के लिये लगातार आवेदन प्राप्त होते रहते हैं। चूँकि दानापुर मंडल में प्राय: रिक्तियां नहीं रहती है, इसलिए दानापुर मंडल में स्थानांतरण के लिए NOC निर्गत नहीं हो पाता है। ऐसे मामलों को प्रतीक्षा सूची या प्राथमिकता सूची में दर्ज कर लिया जाता है। प्रतीक्षा सूची में अंकित आवेदनों के निस्तारण के लिये प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दानापुर मंडल में स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण के प्राप्त मामलों के निस्तारण हेतु निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

01.	a. पूर्व में मंडल स्वयं के अनुरोध पर HRMS Portal या Physical माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए हैं। नए आवेदन अब HRMS के माध्यम से ही प्राप्त हो रहे हैं। इन आवेदनों को मंडल स्तर पर कार्मिक विभाग में सभी कैडरों के लिए बनायी गयी अलग-अलग प्राथमिकता सूची में शामिल कर लिया जाता है। b. मंडल में आवेदन प्राप्ति की तिथि से प्राथमिकता सूची में वरीयता दर्ज की जायेगी। यदि किसी कैटेगरी में एक ही दिन दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस परिस्थिति में प्राथमिकता का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा:- 1. HRMS में same day प्राप्त आवेदनों में उस दिन पहले (समय में) प्राप्त होने वाले, यदि ये भी समान हो तो। 2. Date of first joining in the Railway service, यदि ये भी समान हैं तो 3. जिसका वर्तमान Pay Scale अधिक हो वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी, यदि ये भी समान हो तो 4. जिनकी उम्र ज्यादा होगी उसको वरीयता दी जायेगी। c. स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त वैसे आवेदन जो रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं.23/2010 के अनुसार Spouse Ground से संबंधित हो, के लिए अलग से प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी। Spouse Ground Transfer के लिए पृथक प्राथमिकता सूची List-A बनायी जायेगी एवं Spouse Ground पर प्राप्त आवेदनों को पैरा (b) में उल्लिखित सिद्धान्त के आधार पर List-A की प्राथमिकता सूची में दर्ज कर लिया जायेगा। d. स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण मामलों में NOC revalidation प्राप्त आवेदनों एवं Fresh NOC के लिए प्राप्त आवेदनों की अलग-अलग प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी। इनका नाम क्रमश: List-B तथा List-C दिया जायेगा।
02.	स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त वैसे आवेदन जो रेलवे बोर्ड के परिपत्र संख्या 23/2010 के अनुसार Spouse Ground से संबंधित हों, के लिए रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)I-2015/TR/20 दिनांक 10.02.2017 के अनुसार नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की समय सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी।
03.	स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त वैसे आवेदन जो PwD (दिव्यांग) कर्मचारी से संबंधित हो, के लिये, रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)I/2023/TR/15 दिनांक 24.04.2023 के अनुसार नियुक्ति की तिथि से 5 वर्ष की समय सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी। PwD कर्मचारियों के स्थानान्तरण अनुरोध के आवेदन की प्राप्ति तिथि से प्राथमिकता सूची में वरीयता प्रदान की जायेगी। (List 'C' में ही with the remarks 'PwD')
04.	प्राथमिकता की विभिन्न सूचियाँ इस प्रकार से बनायी जायेगी – List 'A' Spouse Ground, List 'B' Revalidation, List' C' Normal Priority.
05.	Spouse Ground transfer की वरीयता सबसे उच्च होगी तथा Vacancy होने पर सबसे पहले NOC Spouse ground transfer के लिए दी जायेगी।

21/9/2023

06.	NOC issue करते समय Fresh प्राप्त आवेदनों एवं Revalidation के लिए प्राप्त आवेदनों में NOC Revalidation के मामलों को वरीयता दी जायेगी।
07.	NOC issue करते समय निम्न क्रम का पालन किया जायेगा:- i. वैसे Spouse Ground के मामले जो revalidation के लिए प्राप्त हुए हैं। ii. Fresh Spouse Ground के मामले। iii. Spouse Ground के अतिरिक्त revalidation के मामले। iv. Spouse Ground तथा revalidation के अतिरिक्त Fresh प्राप्त आवेदन के मामले। Spouse Ground (Revalidation)→Fresh Spouse Ground→Normal Revalidation→ Fresh NOC cases. **Note:- Spouse Ground के मामले में NOC Issue करते समय निम्न क्रम का अनुपालन किया जाएगा :-** i. पति-पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हों। ii. पति-पत्नी में से कोई एक रेलवे तथा दूसरा केन्द्र सरकार या केन्द्र सरकार के उपक्रम का कर्मचारी हो अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम का कर्मचारी हो। iii. अन्य।
08.	स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण हेतु NOC निर्गत करते समय वैसे मामलों को अन्य रेलवे से प्राप्त आवेदनों पर वरीयता दी जा सकती है जो पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडलों/यूनिटों/मुख्यालय से प्राप्त हुए हैं।
09.	उन आवेदनों, जिसमें खुद कर्मचारी या उनके ऊपर निर्भर आश्रित गंभीर/असाध्य बीमारी जैसे कि कैंसर इत्यादि से ग्रसित हैं या शारीरिक रूप से अशक्त हैं को बिना बारी के (Out of Turn) NOC के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसे प्रस्तावों को सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
10.	स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों के पक्ष में प्राथमिकता सूची की वरीयता के अनुसार ही रिक्ति उपलब्ध होने पर NOC प्रदान की जायेगी जिसकी वैद्यता 6 माह के लिए होगी।
11.	स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण से संबंधित वैसे NOC के मामले जिनकी वैद्यता समाप्त होने पर परन्तु संबंधित रेलवे/मंडल द्वारा कर्मचारी को विरमित कर दिया गया है ऐसे में, वैद्यता समाप्ति के पश्चात रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी को उसके रिपोर्ट करने की तिथि को ही उसके पैतृक रेलवे/मंडल में वापस कर दिया जायेगा।
12.	स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण से संबंधित प्राथमिकता सूची को प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

21/9/2023

(सौरभ सावर्ण)
मंडल कार्मिक अधिकारी-II
कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी
पू.म.रे./दानापुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. निजी सचिव-I/मंरेप्र/दानापुर: मंरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. निजी सचिव अमंरेप्र/इन्फ्रा एवं परि0/दानापुर: अमंरेप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. महामंत्री/ईसीआरकेयू/दानापुर
4. निजी सचिव/वमंकाअधि/दानापुर

मंडल कार्मिक अधिकारी-II
पू.म.रे./दानापुर